रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग खण्ड I
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 87] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 1970/वैशाख 29, 1892
No. 87] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 1970/VAISAKHA 29, 1892.

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Mines and Metals)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th May, 1970

No. CIX-2(41)/69-CIL—Government of India have been viewing with concern, the uneconomic utilisation of some of the washeries in operation and the expected under-utilisation of the washeries which are now ready for operation. With a view to studying the operation of coal washeries in a comprehensive manner, the Government constitute a Committee with the following composition and terms of reference :

1. *Composition*:

Chairman

1. Shri K.S.R. Chari, Coal Mining Adviser, Department of Mines & Metals, New Delhi.

Members

1. Shri Hari Bhushan, Senior Industrial Adviser, Ministry of Steel & Heavy Engineering, New Delhi.

3. Shri K.K. Ray, Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

4. Shri C. S. N. Raju, General Manager, Central Coal Washeries Organisation, Hindustan Steel Ltd., Ranchi.

5. Shri C. Balram, Director (Technical), National Coal Development Corporation, Ranchi.

6. Shri D. Rama Rao, Director (TPC) Power Wing, Central Water & Power Commission, New Delhi.

Members-Secretary

7. Shri G. G. Sarkar, Central Fuel Research Institute, Dhanbad.

II. The Committee will:

(i) Determine the operable capacities of the washeries in operation, or are ready for operation, identify the deficiencies in their working, and suggest remedial measures;

(ii) Study on the possibility of using the Gidi Washery;

(iii) Study on the possibility of operating Chasnalla washery as a Central Washery with coals obtained from outside until the linked mines are in production;

(iv) Suggest measures for the economic utilisation of washing capacity, consistent with the demand for washed coals;

(v) Study and recommend the levels to which coals are to be washed;

(vi) Recommend the additional washing capacity that will have to be set up having regard to the future demands from metallurgical industries; and

(vii) Suggest measures for the use and linkage of washery middlings with thermal power stations.

2. The Committee will submit its report within six months.

K. S. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 19 मई, 1970

सं० को-92(41)/69-को-2.—कोयले धोने के कुछ सक्रियाशील कारखानों के अलाभप्रद उपयोजन और कोयल धोने के ऐसे कारखानों के, जो संक्रिया के लिए अब तैयार हैं, प्रत्याशित उपयोजन के प्रश्न पर सरकार गम्भीरता से विचार करती रही है। कोयला धोने के कारखानों के परिचालन का व्यापक रूप से अध्ययन करने की दृष्टि से सरकार एक समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे तथा समिति के निम्नलिखित निदेश निबन्धन होंगे।

1. (1) गठन : अध्यक्ष

1. श्री के० एस० आर० चारी,
कोयला खनन सलाहकार,
खान तथा धातु विभाग,
नई दिल्ली।

2. श्री हरि भूषण, सदस्य
प्रवर औद्योगिक सलाहकार,
इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय,
नई दिल्ली।

3. श्री के० के० रे, सदस्य
कोयला नियन्त्रक,
1, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट,
कलकत्ता।

4. श्री सी० एस० एल० राजू, सदस्य
जनरल मैनेजर, सेंट्रल कोल वाशरीज आरगनाइजेशन,
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड,
रांची।

5. श्री सी० बलराम, सदस्य
निदेशक (तकनीकी),
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम,
रांची।

6. श्री डी० रामा राव, सदस्य
निदेशक (टी० पी० सी०),
पावर विंग,
केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग,
नई दिल्ली।

7. श्री जी० जी० सरकार, सदस्य-सचिव
केन्द्रीय ईंधन गवेषणा शाला,
धनबाद।

(2) यह समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी :

(1) कोयला धोने के संक्रियाशील कारखानों या परिचालन के लिए तैयार कारखानों की परिचालन योग्य क्षमताओं का निर्धारण करेगी, उनके कार्यकरण में कमियों को अभिचिन्हित करेगी और उनके उपचारी उपाय सुझायेगी ।

(2) गिडि के कोयला धोने के कारखाने के उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन ;

(3) सम्बद्ध खानों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने तक अन्यत्र से कोयले प्राप्त करके चसनाला के कोयला धोने के कारखाने के केन्द्रीय वाशरी के रूप में परिचालन की संभानाओं का अध्ययन ;

(4) धुले हुए कोयले की मांग के अनुरूप , धावन क्षमता के लाभप्रद उपयोजन के लिए उपाय सुझाना ;

(5) उन स्तरों का अध्ययन जिन तक कोयला धोया जाना है और उन स्तरों के सुझाव ;

(6) धातुकर्मीय उद्योगों की भावी मांगों को विचार में रखते हुए स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त धावन क्षमता सुझाना ;

(7) कोयला धोने के कारखानों के उपयोग और तापीय बिजली घरों के साथ मध्यम श्रेणी की वस्तुओं की सहलग्नता के उपाय सुझाना ।

2. यह समिति छह मास की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

के० एस० रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,